न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मनीष कुमार जाटव, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	10/2021
दायर दिनांक	:	13.09.2021
निर्णय दिनांक	:	16.05.2024

1. कल्याणी पत्नी रामावतार जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
2. मोहरबाई पुत्री रामावतार जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
3. विश्राम पुत्र रामावतार जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
4. मन्जू पुत्री रामावतार जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
5. गिर्राज पुत्र रामावतार जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
6. लल्ली पत्नी कंचन जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
7. छोटी पुत्री कंचन जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
8. नर्बदा पुत्री कंचन जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
9. रेखा पुत्री कंचन जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
10. सुमन पुत्री कंचन जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
11. भजनलाल पुत्र कंचन जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
12. भीमसेन पुत्र कंचन, जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमालीदेवी पुत्री रामधन पत्नी सीताराम मीना जाति मीना, निवासी दौसा
2. हरफूल पुत्र श्योबक्स जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भू–स्वामी) तहसील दौसा
4. सरपंच, ग्राम पंचायत महेश्वरा खुर्द जिला दौसा
5. ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा कार्यालय दौसा
6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा कार्यालय दौसा

रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थिति : अपीलान्ट्स की ओर से — श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 16.06.2000
तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा के रहने वाले हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 सहखातेदार है जिनके विरुद्ध उक्त अपील में किसी प्रकार का अनुतोष वांछनीय नहीं है। अपीलान्ट्स के पिता स्व॰ श्योनारायण थे एवं रामावतार उर्फ रामोतार पुत्र श्योनारायण की मृत्यु दिनांक 11. 07.2020 को हो चुकी है जिसके वारिसान अपीलान्ट्स संख्या 1 लगायत 5 हैं। वाके ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1500 रकबा 0.15 है॰, खसरा नम्बर 1528 रकबा 0.19 है॰, खसरा नम्बर 1530 रकबा 0.18 है॰, खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.15 है॰, खसरा नम्बर 1687 रकबा 0.28 है॰, खसरा नम्बर 1688 रकबा 0.04 है॰, खसरा नम्बर 1689 रकबा 0.08 है॰, खसरा नम्बर 1690 रकबा 0.09 है॰, खसरा नम्बर 1691 रकबा 0.16 है॰, खसरा नम्बर 1692 रकबा 0.15 है॰, खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.15 है॰, खसरा नम्बर 1740 रकबा 0.40 है॰, खसरा नम्बर 1741 रकबा 0.21 है॰, खसरा नम्बर 1742 रकबा 0.20 है॰, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.35 है॰, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.09 है॰, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.59 है॰, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.38 है॰, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.42 है॰, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.02 है॰, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.06 है॰, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.21 है॰, खसरा नम्बर 476 रकबा 0.21 है॰, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.26 है॰, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.10 है॰, खसरा नम्बर 481 रकबा 0.35 है॰, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.24 है॰, खसरा नम्बर 487 रकबा 0.15 है॰, खसरा नम्बर 488 रकबा 0.17 है॰, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.15 है॰, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.15 है॰, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.24 है॰, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.24 है॰, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.04 है॰, खसरा नम्बर 503 रकबा 0.01 है॰, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.02 है॰, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.12 है॰, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.03 है॰, खसरा नम्बर 545 रकबा 0. 06 है॰, खसरा नम्बर 546 रकबा 0.05 है॰, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.10 है॰, खसरा नम्बर 731 रकबा 0.23 है॰ कुल किता 42 कुल रकबा 7.47 है॰ स्थित है। जिसकी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खातेदारी अपीलान्ट्स व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि के खातेदार रामधन द्वारा अपीलान्ट्स के पिता रामावतार उर्फ रामोतार व कंचन पुत्रान श्योनारायण जाति मीना निवासी महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा के हक में एक वसीयतनामा दिनांक 21.02.1998 तस्दीक करवाया था। उक्त वसीयतनामा दिनांक 21.02. 1998 की पालना में उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा भरकर तस्दीक करवाया गया है। उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण में पटवारी हल्का द्वारा बिना जाँच किये तथा कानून के विरुद्ध अपीलान्ट्स के पिता रामावतार व कंचन के पिता का नाम श्योनारायण की जगह दत्तक पुत्र रामधन दर्ज कर दिया एवं रामधन की पत्नी पांची के हक में गलत नामान्तकरण दर्ज कर दिया जिसका कि पटवारी हल्का को कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि कानूनन वसीयत के आधार पर खोले गये नामान्तकरण में कभी भी पिता का नाम दत्तक पुत्र नहीं लिखा जा सकता है। दत्तक पुत्र केवल मात्र गोदनामे के आधार पर लिखा जा सकता है, वसीयत के आधार पर नहीं। इसलिए उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्ट्स के पिता का नाम रामावतार व कंचन के पिता का नाम दत्तक पुत्र रामधन लिखा गया वह अवैधानिक एवं गैरकानूनी है तथा इसी नामान्तकरण में वसीयत केवल मात्र रामावतार व कंचन के नाम थी तो पांची बेवा रामधन का नाम इस नामान्तकरण में अवैध व गलत तरीके से दर्ज कर दिया जिसका कि पटवारी हल्का को किसी भी प्रकार का कानूनन कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं था इसलिए उक्त नामान्तकरण को रिमाण्ड कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा को यह आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है कि उक्त नामान्तकरण की समस्त प्रतियों की पुश्त पर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

अपीलान्ट्स के पिता रामावतार व कंचन के पिता का नाम दत्तक पुत्र रामधन की जगह श्योनारायण दर्ज किया जावे क्यों कि अपीलान्ट्स के पिता रामावतार व कंचन के प्राकृतिक पिता का नाम श्योनारायण था एवं इसी नामान्तकरण का इन्द्राज पांची वेवा रामधन का नाम हज्फ किया जावे। अपीलान्ट्स को उक्त तथ्य की पूर्व में जानकारी नहीं थी अब रामावतार की मृत्यु हो जाने पर उसके विरासत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गये व नामान्तकरण की प्रक्रिया करी तब अपीलान्ट्स को उक्त तथ्य का पता चला कि रामावतार व कंचन के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो रहा है जिस पर तुरन्त राजस्व रिकॉर्ड की नकल हेतु आवेदन किया व राजस्व रिकॉर्ड की नकले दिनांक 18.08.2021 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने से जानकारी से अन्दर मियाद दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश है। अतः अपील अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा द्वारा दिनांक 16.06.2000 को तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 226 को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 4 को आदेश फरमाया जावे कि वे अपील में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रामावतार पुत्र मु॰ रामधन की जगह रामावतार पुत्र श्योनारायण दर्ज किया जावे और पांची पत्नी रामधन का नाम जमावन्दी से हज्फ किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स की तलवी की गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम दायमा ने अण्डरटेकिंग दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3, 4 व 6 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। मूल नामान्तकरण संख्या 226 तलब किया गया। बहस सुनी गयी। वहस के दौरान अपीलान्ट्स की ओर से अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त करने एवं अपील में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रामावतार पुत्र मु॰ रामधन की जगह रामावतार पुत्र श्योनारायण दर्ज करने व पांची पत्नी रामधन का नाम जमावन्दी से हज्फ करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया तथा वहस पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 16.06.2000 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि रामधन पुत्र हीरा के फौत होने पर मुताविक वसीयत पत्र दिनांक 21.02. 1998 ग्राम महसरा खुर्द स्थित भूमि कुल खसरा किता 42 में रामधन पुत्र हीरा, हि॰ 1/2 का नामान्तकरण पांची वेवा रामधन व रामोतार कंचन दत्तक पुत्र रामधन के नाम सरपंच, ग्राम पंचायत महसराखुर्द द्वारा स्वीकार किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध वसीयतनामा दिनांक 21.02.1998 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि वसीयतकर्ता श्री रामधन पुत्र हीरा जाति मीना द्वारा जरिये वसीयतनामा अपनी चल–अचल सम्पत्ति का मालिक अपनी मृत्यु उपरान्त रामअवतार कंचन पुत्रान श्योनारायण जाति मीना को वनाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र में भी रामाअवतार मीना के पिता का नाम श्योनारायण मीना अंकित है। इस प्रकार वसीयतनामा दिनांक 21.02.1998 एवं रामाअवतार मीना के मृत्यु प्रमाण पत्र से रामअवतार के प्राकृतिक पिता श्योनारायण होने की पुष्टि होती है किन्तु सरपंच, ग्राम पंचायत महसराखुर्द द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 226 स्वीकार करते समय रामअवतार पुत्र श्योनारायण के स्थान पर रामोतार दत्तक पुत्र रामधन के नाम नामान्तकरण तस्दीक करने में त्रुटि कारित की है। इसी प्रकार वसीयतनामा दिनांक 21.02. 1998 का गहनता से अवलोकन किये विना सरपंच, ग्राम पंचायत महसराखुर्द द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 226 स्वीकार करते समय रामअवतार कंचन पुत्रान श्योनारायण जाति मीना के स्थान पर पांची वेवा रामधन व रामोतार कंचन दत्तक पुत्र रामधन के नाम नामान्तकरण तस्दीक करने में त्रुटि कारित की है। सरपंच ग्राम पंचायत महसराखुर्द द्वारा विधिक दस्तावेज का अवलोकन किये विना अपीलाधीन नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

संख्या 226 स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अतः नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 16.06.2000 ग्राम महसरा खुर्द तहसील दौसा तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत महसराखुर्द को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 16.06.2000 ग्राम महसरा खुर्द तहसील दौसा तस्दीक द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत महसराखुर्द को निरस्त किया जाता है तथा इस आशय के साथ तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति सहित मूल नामान्तकरण लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुहर द्वारा प्रचलित किया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)